रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1224] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939

No. 1224] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

vYil[;d dk;l e=ky;

vf/kl puk

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

dk-vk- 1386¼v-½.—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार के परिदान प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) संचालित कर रहा है।

और स्कीम के अंतर्गत लक्षित समूह अल्पसंख्यक युवा (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) हैं, जिन्हें संस्थानों या संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कौशल विकास पर प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिमाह वजीफा दिया जाता है और/या प्लेसमेंट के बाद दो महीने के लिए प्लेसमेंट के बाद की सहायता भी प्रदान की जाती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) और जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. (1) स्कीमों के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी पात्र व्यक्ति को उसके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) स्कीमों के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय को अपनी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या

ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से अथवा मंत्रालय को स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे :

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक स्कीमों के अधीन लाभ ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दिए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा पैरा 2 के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र शीर्ष पर ऐसे सदस्य के फोटो के साथ जारी किया गया पहचान प्रमाण–पत्र; या (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज :

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:–

(क) आवेदकों या फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) उनके आस–पास जैसे कि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण यदि फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से आधार नामांकन के लिए मंत्रालय या परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विशेष रूप से नामित संबंधित पदाधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और अन्य अपेक्षित विवरण देते हुए अपने अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[सं. 8–76/2016 – एसडी]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

S.O. 1386(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Scheme of Seekho aur Kamao (hereinafter referred to as the Scheme) for skill development of the minority youth;

And whereas, the target groups under the Scheme are the minority youth (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are given training on skill development through Institutions or Organisations or Non-

Governmental Organisations (hereinafter referred to as the Project Implementing Agencies) and the trainees are paid a stipend every month for the duration of the training course undertaken and or also provided post placement support for two months after the placement (hereinafter referred to as the benefits) and which involves recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Project Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (viii) Any other documents as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Project Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details with the concerned officials specifically

designated by the Ministry or the Project Implementing Agencies or through the web portal provide for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 8-76/2016 - SD]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

vf/klpuk

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

dk-vk- 1387¼v½.—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार के परिदान प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण के लिए ''विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)'' स्कीम (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) संचालित कर रहा है।

और स्कीम के अधीन लक्ष्यित समूह अल्पसंख्यक युवा (जिसे इसके पश्चात् फायदाग्राहियों कहा गया है) हैं, जिन्हें संस्थानों या संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों (जिसे इसके पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिमाह वजीफा (जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) दिया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

4. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को उसके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाण करवाना अपेक्षित है।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय को अपनी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या मंत्रालय को स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे :

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक स्कीम के अधीन प्रसुविधा ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दिए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा पैरा 2 के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र शीर्ष पर ऐसे सदस्य के फोटो के साथ जारी किया गया पहचान प्रमाण–पत्र; या (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज :

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

5. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी–रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय इसकी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:–

(क) आवेदकों या फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) उनके आस–पास जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण यदि फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से आधार नामांकन के लिए मंत्रालय या परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विशेष रूप से अभिहित संबंधित पदाधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और अन्य अपेक्षित विवरण देते हुए अपने अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जाए।

6. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 8–76/2016 – एसडी]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

S.O. 1387(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Scheme of "Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts and Crafts for Development (USTTAD) (hereinafter referred to as the Scheme) for preservation of traditional arts and crafts of minorities;

And whereas, the target groups under the Scheme are the minority youth (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are given training through the Institutions or Organisations or Non-Governmental Organisations (hereinafter referred to as the Project Implementing Agencies) and the trainees are paid a stipend every month (hereinafter referred to as the benefit) for the duration of the training course which involves recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Project Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there

is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (viii) Any other documents as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Project Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details with the concerned officials specifically designated by the Ministry or the Project Implementing Agencies or through the web portal provide for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 8-76/2016 - SD]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.06 09:57:41 +05'30'